सं. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2004/अग्रहायण 12, 1926
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2004/AGRAHAYANA 12, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 नवम्बर, 2004

सं० टीएएमपी/26/2004-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, एल एंड टी पोक्लेन एंड बार्जे विजया के लिए भाड़ा प्रभार निर्धारित करने के लिए कोच्चिं पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /26/2004 -सीओपीटी

कोच्चिं पत्तन न्यास .... आवेदक

आदेश

(नवम्बर 2004 के 18 वें दिन पारित)

यह प्रकरण एल एंड टी पोक्लेन एंड बार्जे विजया के लिए भाड़ा प्रभार के निर्धारण के लिए कोच्चिं पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

1.2. सीओपीटी ने बताया है कि इसके वर्तमान दरमान में एल एंड टी पोक्लेन एंड बार्जे विजया के भाड़े के लिए कोई दर नहीं दी गई है । इसलिए इसने निम्नलिखित दरों के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति मांगी है :

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दर (रुपये में)
(i)	स्थिर प्रभार	प्रति भार प्रति 8 घंटे की पाली या उसका भाग	12000/-
(ii)	प्रति अतिरिक्त घंटा या उसका भाग	प्रति अतिरिक्त घंटा या उसका भाग	1500/-
(iii)	एक भार से अधिक भार के लिए दरें	प्रति भार	1000/-

2.1. प्रस्ताव की प्रतियाँ, विभिन्न सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं / पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थीं ।

2.2. कन्टेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए) और भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने सूचित किया है कि उन्हें प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है । इसके अलावा, इस प्रकरण में टिप्पणी के लिए सम्पर्क किए गए अन्य उपयोगकर्त्ताओं में से भी किसी से कोई लिखित टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।

3.1. प्रस्ताव की प्राथमिक जाँच पड़ताल के आधार पर सीओपीटी से, दोनों पोतों की पूंजी लागत का विवरण, उनको प्राप्त करने की तिथि, उनकी मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अनुमान का औचित्य सिद्ध करना, और सामान्य उपरि व्यय जैसे विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनाएँ / स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया था ।

3.2. प्रत्युत्तर में सीओपीटी ने निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया है:-

(i) एल एंड टी पोक्लेन 1980 में 18 लाख रुपयों की पूंजी लागत से खरीदा और कार्यरत किया गया था । तथापि इसकी खाता कीमत (बुक-वैल्यू) शून्य है । पत्तन द्वारा इसका उपयोग उथले जल में तलकर्षण के लिए किया जाता है । बार्जे-विजया 1986 में 20 लाख रुपये की पूंजी लागत से खरीदा गया और कार्यरत किया गया था । इसका वर्तमान खाता-मूल्य 2 लाख रुपये है । इसका उपयोग पोक्लेन हेतु मूक-नौका (डम्ब बार्ज) के रूप में किया जाता है ।

(ii) पोत कर्मचारियों की वेतन-लागत, ईंधन-लागत और इन दो जलयानों की मरम्मत और अनुरक्षण लागत का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

(iii) इसने स्पष्ट किया है कि इस सम्पत्ति का उपयोग केवल पत्तन के प्रयोजन से ही होता था जबकि बाद में, (पत्तन) उपयोगकर्त्ताओं से इन्हें भाड़े पर दिए जाने का अनुरोध है । इसने पुष्टि की है कि प्रशुल्क के पिछले सामान्य संशोधन के समय फाइल की गई लागत विवरणियों में पोत भाड़े पर दिए जाने से संबंधित उपरिव्यय लागत सम्मिलित नहीं की गई थी । इन पोतों को भाड़े पर देने में सम्मिलित कुछ प्रशासनिक और प्रबोधन कार्य लागत की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष लागत का 25% उपरिव्यय आंका गया है ।

4. इस प्रकरण में 9 सितम्बर 2004 को सीओपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था । संयुक्त सुनवाई में उपस्थित उपयोगकर्त्ताओं ने यह कहा कि उन्हें सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

5. इस प्रकरण पर कार्रवाई करते समय संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) सीओपीटी ने अपने वर्तमान पोतों - एल एंड टी पोक्लेन और बार्जे विजया निजी उपयोगकर्त्ताओं को भाड़े पर देने के लिए भाड़ा-प्रभार निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है । पत्तन द्वारा इन पोतों का इस समय उथले जल में तल कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है । सीओपीटी के वर्तमान दरमान में इन पोतों को निजी उपयोगकर्त्ताओं को भाड़े पर देने के लिए कोई दर नहीं है ।

(ii) इस प्रकरण में जिन उपयोगकर्त्ताओं से परामर्श किया गया, उन्होंने सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है । इसलिए यदि यह मान लिया जाए कि सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें ऐसी ही सुविधाओं के लिए बाजार दरों से तुलन-योग्य है तो यह अयुक्तिसंगत न होगा ।

(iii) यह प्राधिकरण सामान्य तौर पर, किसी महापत्तन द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए लागताधिक मॉडल का अनुसरण करता है । तात्कालिक प्रकरण में, चूंकि उपयोगकर्त्ताओं को प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति नहीं है, सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत-ब्यौरे का गहराई से विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि, प्रस्तावित दरों की गणना में कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं । इन पोतों की वर्ष 2003-2004 में मरम्मत और अनुरक्षण की अनुमानित लागत इन पोतों के वास्तविक मूल्यह्रास के कारण पूरी तरह समाप्त हो गई है और दूसरे पोत बार्जे विजया भी अपनी अपने उपयोगी जीवन को पूरा करने के कगार पर है, इसलिए, भाड़ा प्रभार निर्धारित करते समय निवेश पर आमद की गणना करना युक्तिसंगत नहीं पाया गया है । तथापि, चूंकि सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें उपयोगकर्त्ताओं को स्वीकार्य पाई गई हैं, प्रस्तावित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस स्थिति में यह प्राधिकरण सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है । तथापि, इसे सीओपीटी द्वारा अपनाए गए लागत-दृष्टिकोण की पुष्टि के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए अन्यथा यह अन्यत्र पूर्वोदाहरण बन जाएगा ।

6.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीओपीटी के दरमान में सम्मिलित करने के लिए, एल एंड टी पोक्लेन और बार्जे विजया के लिए भाड़ा प्रभारों की, सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को निम्नलिखित उच्चतम् दरों के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है:

क्रम सं.	विवरण	इकाई	उच्चतम दर (रुपये में)
(i)	स्थिर प्रभार	प्रति भार प्रति 8 घंटे की पाली या उसका भाग	12000/-
(ii)	प्रति अतिरिक्त घंटा या उसका भाग	प्रति अतिरिक्त घंटा या उसका भाग	1500/-
(iii)	एक भार से अधिक भार के लिए दरें	प्रति भार	1000/-

6.2. इससे पहले लिए जा चुके सामान्य नीति निर्णय के अनुरूप स्वीकृत दरें अधिकतम दर होंगी ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असाधारण]